पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 316/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 10.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- तहबरपुर: वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 10.10.24 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय मु0 न्याया0 मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित मु0नं0 2917/19 स्टेट बनाम रवि गुप्ता धारा 420,406 भादवि थाना सिधारी से सम्बन्धित वारण्टी व 83 सीआरपीसी का वारण्टी रवि गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता के घर गिरफ्तारी व कुर्की की कार्यवाही के लिए पहुंचे तो अभियुक्त घर पर मौजूद मिला। जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता रवि गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम टीकापुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ बताया। वारण्टी का नाम पता सकुनत तस्दीक होने पर वारण्टी को मा0 न्यायालय का आदेश दिखाकर व गिरफ्तारी का कारण बताते हुये समय 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार वारण्टी उपरोक्त के गिरफ्तारी की सूचना उनकी पत्नी पुनीता गुप्ता को मौके पर ही दिया गया।

02. थाना – रौनापार: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.24 को वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष दिनांक 05.02.24 की रात्रि लगभग 01 बजे कही चली गयी, काफी खोजबीन करने पर भी पता नही चला है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 48/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया है। पीड़िता की बरामदगी व बयान 161 व 164 सीआरपीसी व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376(3)/366 भादवि व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया तथा पीड़िता के बयान 161 व 164 सीआऱपीसी से अभियुक्त सुनिल कुमार पुत्र सरवन कुमार निवासी ग्राम रौनापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 10.10.24 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सुनिल कुमार पुत्र सरवन कुमार निवासी ग्राम रौनापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को पक्खोपुर मोड़ से समय करीब 10.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना- कप्तानगंजः चोरी की मोटरसाईकिल व अवैध तमंचे व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

अवगत कराना है कि दिनांक 09/10/2024 को उ0नि0 विनोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा छाता का पूरा फ्लाई ओवर के नीचे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। एक व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ कुमार पुत्र बृजेश चौरसिया निवासी मार्टिनगंज बाजार थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ बताया इसने बताया कि दिनांक 15/06/2024 को देउपुर कमालपुर से मोटरसाईकिल चोरी की थी। अभियुक्त सौरभ कुमार उपरोक्त के कब्जे से एक चोरी की बाइक व एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया जिसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। दोनो के विरूद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-328/24 व धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

04. थाना-फूलपुर: साइबर फ्राड का 50,000 रूपया वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2023 को आवेदक हबीबुर्रहमान पुत्र अफसर अली साकिन कौड़िया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पास लोन देने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके 67,006/- रूपये का साइबर फ्राड कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 33105230xxxxxxx है। उपरोक्त रूपये में से 50,000 रू0 साइबर पुलिस टीम फूलपुर द्वारा धोखाधड़ी करने वाले के खाते में रूपया फ्रीज करा दिया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.10.2024 को आवेदक का फ्राड हुआ 50,000 रूपये वापस करा दिया गया है।

रूपया वापसी का विवरण-

आवेदक हबीबुर्रहमान पुत्र अफसर अली साकिन कौड़िया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के फ्राड हुए रूपये कुल 67,006/- रू0 में से होल्ड 50,000रू0 के सम्बन्ध मे आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करने के उपरान्त मा0 न्यायालय से रूपया रिलीज हेतु कोर्ट आर्डर बनवाया गया एवं रूपया रिलीज करने हेतु कोर्ट ऑर्डर को सम्बन्धित बैंक (BANK OF INDIA) के नोडल अधिकारी को जरिये इमेल सम्पर्क कर आदेश की प्रति भेजा गया। व आवेदक हबीबुर्रहमान पुत्र अफसर अली साकिन कौड़िया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के HDFC बैंक के खाता मे दिनांक 09.10.2024 को कुल 50,000/- रूपया (REFUND) अवमुक्त किया कराया गया। आवेदक अपना फ्रॉड हुआ रूपया पाकर अत्यन्त प्रसन्न है और पुलिस

का आभार प्रकट कर रहा है।

बरामदगी करने वाली साइबर टीम का विवरण-

1. रि0उ0नि0 अनुराग पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 आकांक्षा त्रिपाठी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

05.थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़: किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी रबी सेठ पुत्र मुन्ना सेठ ग्राम गोठांव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 10.07.2024 की रात में सोते समय किसी वक्त बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/24 धारा 137(2), 87 BNS बनाम रबी पुत्र मुन्ना सेठ ग्राम गोठांव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दि0 10.10.24 को मैं उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रबी सेठ पुत्र मुन्ना सेठ ग्राम गोठांव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को भादो मोड़ से समय करीब 7.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06.थाना- तहबरपुर जनपद आजमगढ़: गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.24 को वादिनी निर्मला देवी पत्नी देवनाथ यादव ग्राम ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 1. श्रीनाथ यादव पुत्र किशुन यादव 2. हिमांशु यादव पुत्र श्रीनाथ यादव 3. सुमन यादव पत्नी श्रीनाथ यादव निवासी ग्राम ढढ़नी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर वादिनी के देवर अमरनाथ यादव पुत्र श्री किशुन यादव तथा देवरान सवित्री पत्नी श्री अमरनाथ यादव को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा व ईट पत्थर से मारा पीटा , मारपीट के दौरान अमरनाथ यादव को गम्भीर चोट लग जाने के कारण मौके पर बेहोश हो गया तथा विपक्षी द्वारा जाने से मारने की धमकी दिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/2024 धारा 110,115(2),351(3),352 बीएनएस बनाम 1. श्रीनाथ यादव पुत्र किशुन यादव 2. हिमांशु यादव पुत्र श्रीनाथ यादव 3. सुमन यादव पत्नी श्रीनाथ यादव निवासी ग्राम ढढ़नी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 10.10.24 उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्रीनाथ पुत्र स्व किशुन सा0 ढ़ढ़नी थाना तहबरपुर आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को उसके घर से समय करीब 13.10 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0059/2022 धारा 307/458 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 131/2015 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, हे0का0 बब्बन यादव, का0 राकेश कुमार तहबरपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति. जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 आरोपी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व 02 आरोपी अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़: गैर-इरादत्तन हत्या में 01 आरोपी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व 02 आरोपी अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक- 19.04.2013 को वादी मुकदमा (मृतक) स्व0 श्री बहादुर प्रजापति पुत्र स्व0 श्री सखराज प्रजापति ग्राम रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि विपक्षी 1. धर्मेन्द्र पुत्र हरदेव राम 2. विरेन्द्र पुत्र हरदेव राम 3. हरदेव राम पुत्र रामसुखराम निवासीगण रामपुर सारंग थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा घर में कहा-सुनी को लेकर वादी मुकदमा को लाठी-डण्डे से मारपीट की गयी, जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-161/2013 धारा 304,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 09.10.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ महोदय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते

हुए अभियुक्त 01 आरोपी अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र हरदेव निवासी ग्राम रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 02 आरोपी अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र पुत्र हरदेव राम 2. हरदेव राम पुत्र रामसुखराम निवासीगण ग्राम रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।